

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 268/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 29.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयी:-

01-थाना बिलरियागंज : 1.25 किग्रा गांजा के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा गांजा रखने, बेचने व गांजा की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 28.08.2024 को उ0नि0 लवकुश सोनकर मय हमराह द्वारा अभियुक्त नियाजुद्दीन उर्फ मोटू पुत्र स्व0 इस्तेखार निवासी खानकाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जगमलपुर बाग के पास से समय करीब 22:20 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 298/20 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 13/2022 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 92/2015 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 व 3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 तथा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 298/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 लवकुश सोनकर, उ0नि0 उमाशंकर तिवारी, हे0का0 दिनेश कुमार यादव, का0 शिवम शर्मा, का0 संदीप जायसवाल, का0 अतुल सिंह यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।



02-थाना –मेहनाजपुर : किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दिया कि दिनांक 04-08-2024 की रात्रि में वादी की नतनी को अभियुक्त सन्नी देवल पुत्र राजाराम निवासी ग्राम जमुनीपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ बहला-फुसलाकर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 129/2024 धारा 137(2),87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बी0एन0एस0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त सन्नी देवल पुत्र राजाराम निवासी ग्राम जमुनीपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष को सिधौना से समय करीब 08:10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, का0 आनन्द मौर्या थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ।



03-थाना सिधारी : स्पा सेन्टर में अनैतिक कृत्य का भंडाफोड़ 02 पुरुष, 03 महिलाएं गिरफ्तार व 4500/- रु0 बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में दिनांक 28.08.2024 को क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक सिधारी वीरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा सर्फुद्दीनपुर तिराहा के पास स्पा सेन्टर में अनैतिक कृत्य करवाने वाले (संचालक) राजेश यादव पुत्र बबऊ यादव सहित कुल 02 पुरुष व 03 महिलाओं को आपत्ति जनक अवस्था में समय करीब 20:00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मौके से 4500 रुपये, 01 रजिस्टर, 01 स्कैनर (भारत पे) व 8 मोबाईल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु.अ.सं.- 322/24 धारा 3/4/5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश यादव पुत्र बबऊ यादव निवासी अदारी थाना मीरगंज जनपद जौनपुर (संचालक) उम्र करीब 36 वर्षी
2. शिवप्रताप सिंह उर्फ छोटू पुत्र तेजप्रताप निवासी चण्डेश्वर (कालेज के पास) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्षी
3. 03 महिलाएं

बरामदगी- 4500 रुपये, 01 रजिस्टर, 01 स्कैनर (भारत पे) व 8 मोबाईल फोन

आपराधिक इतिहास-

राजेश यादव पुत्र बबऊ यादव निवासी अदारी थाना मीरगंज जनपद जौनपुर (संचालक)

- 1- मु.अ.सं.- 109/23 धारा 109/143/341/353/504/506 भादवि व 7 आपराधिक कानून अधिनियम 1932 थाना मीरगंज जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. गौरव शर्मा क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़
2. वीरेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. व.उ.नि. भगत सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. का. हरिभान सिंह, का. मुकुन्द लाल मिश्रा, का. भाष्कर मिश्रा, का. सुनील कुमार, म.का. सीमा यादव, म.का. दिप्ती सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।



04-थाना- मेंहनगर : किशोरी को भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2024 को वादी मुकदमा थाना मेहनगर द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया कि वादी की बहन को उसके गांव का ही एक बाल अपचारी बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 277 धारा 137(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

अभिरक्षा में लिये जाने का विवरण- आज दिनांक 29.08.2024 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को जाफरपुर बाजार से समय करीब 08.40 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 आदिल खाँ, का0 अनिल चौधरी, का0 सोनू यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

05-थाना सरायमीर : चोरी गये बकरे के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; अवैध कट्टा-कारतूस, चार पहिया वाहन बरामद

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2024 को वादी मुकदमा अतिकुरमान पुत्र मंजूर अहमद निवासी कोरौली खुर्द थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 28.08.2024 को वादी के घर से वादी के बकरे को अज्ञात व्यक्ति बैगनार गाडी से (नम्बर UP62CL8411) लेकर चले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 458/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में पशुओं की चोरी व तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में दिनांक 28-08-2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह, उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह, उ0नि0 देवचरण सिंह मय हमराह द्वारा शेरवा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त 1- अरविन्द कन्नौजिया पुत्र बाबूलाल कन्नौजिया निवासी छोड़वा भादी शाहगंज रोड थाना शाहगंज जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष, को 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा अभियुक्त 2- हिमांशु सोनकर पुत्र भिरगू सोनकर निवासी शनिचर बाजार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया। दोनो अभियुक्तों के पास से 5500 रुपये, 01 बकरा व 01 वैगनार गाडी बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1- मु0अ0सं0- 459/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0, 2- मु0अ0सं0- 458/24 धारा 303(2)/317(2)3(5) बीएनएस पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 बकरा, 01 वैगनार वाहन नं0- UP62CL8411, 5500/- रुपये, **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अरविन्द कन्नौजिया पुत्र बाबूलाल कन्नौजिया निवासी छोड़वा भादी शाहगंज रोड थाना शाहगंज जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष
2. हिमांशु सोनकर पुत्र भिरगू सोनकर निवासी शनिचर बाजार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे घूम फिर कर पशुओं की चोरी करते हैं तथा उन्हें बेचकर पैसे आपस में बाट लेते हैं।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 459/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 458/24 धारा 303(2)/317(2)3(5) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-445/24 धारा 303(2)/317(2)3(5) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अरविन्द कन्नौजिया पुत्र बाबूलाल कन्नौजिया निवासी छोड़वा भादी शाहगंज रोड थाना शाहगंज जौनपुर

1. मु0अ0सं0 459/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 458/24 धारा 303(2) /317(2)3(5) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-445/24 धारा 303(2)/317(2)3(5) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-196/24 धारा 147/308/323/504/506/ भादवि थाना शाहगंज जनपद जौनपुर
- 5.

हिमांशु सोनकर पुत्र भिरगू सोनकर निवासी शनिचर बाजार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0- 458/24 धारा 303(2) /317(2)3(5) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-445/24 धारा 303(2)/317(2)3(5) बीएनएस बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अभिषेक सिंह, उ0नि0 पंकज यादव, उ0नि0 देवचरण सिंह, का0 श्रेष्ठ यादव, का0 रजनीश पटेल, का0 चन्दन कुमार, का0 विजय कुमार, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



06-थाना मुबारकपुर : दहेज हत्या मे वांछित 01 अभियुक्ता सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना— अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2024 को वादी मुकदमा रूपनरायन सोनकर पुत्र स्व० सुमेर सोनकर साकिन मोलनापुर थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर प्रा० पत्र दिया गया कि वादी की पुत्री/पीड़िता की शादी बृजेश पुत्र मुनीब निवासी ग्राम बगहीडाड थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के साथ हुयी थी उसके पति, ससूर तथा सास ने दहेज मे मोटर साइकिल नही लाने के लिये प्रताड़ित करते हुये जला दिये जिसकी सदर अस्पताल मे इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु०अ०सं०- 330/2024 धारा 85, 80 भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० बनाम बृजेश व अन्य 03 अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना स०पु०अ०/क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण— पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. बृजेश सोनकर पुत्र मुनीब सोनकर 2. मुनीब सोनकर पुत्र मिसीरी सोनकर 3. कलावती पत्नी मुनीब सोनकर समस्त निवासी ग्राम बगहीडाड थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम बगहीडाड से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार कर चालान

मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. बृजेश सोनकर पुत्र मुनीब सोनकर 2. मुनीब सोनकर पुत्र मिसीरी सोनकर 3. कलावती पत्नी मुनीब सोनकर
समस्त निवासी ग्राम बगहीडाड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार, का0 इजहार अंसारी, का0 जितेन्द्र कुमार यादव, का0 अनिरुद्ध यादव व म0का0 शिवानी शुक्ला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।



07-थाना गम्भीरपुर : पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर आये अभियुक्त की निशानदेही पर टावरों से चोरी 04 अजना उपकरण (किमती लगभग 04 लाख रूपये) बरामद।

पूर्व की घटना- दिनांक 26.07.2024 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर व एसओजी टीम आजमगढ़ द्वारा मोबाइल टॉवर से सम्बंधित अजना उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 13 चोरो क्रमशः 1. सुशील कुमार पाण्डेय पुत्र चन्द्रिका पाण्डेय निवासी चन्द्रभानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ , 2. निखिल उर्फ कृपाशंकर विश्वकर्मा पुत्र प्रमोद विश्वकर्मा निवासी ग्राम हरईरामपुर, 3. सतीष यादव पुत्र संजय यादव, 4. सुभम पाण्डेय पुत्र हरिकेश पाण्डेय , 5. रोहित पाठक पुत्र अखिलानन्द पाठक निवासीगण ग्राम हरईरामपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ 6. संजय शाहनी पुत्र रामप्रीत साहनी ग्राम मझौली राज थाना सलेमपुर जनपद देवरिया , 7. बृजेश साहनी पुत्र गुलाब साहनी ग्राम उमापुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ , 8. फिरोज पुत्र रईस ग्राम फूलगली थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ , 9. अजय यादव पुत्र राजपथ यादव ग्राम वजीरपट्टी थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ , 10. महेश गौड पुत्र

नगदू गौड ग्राम बभनपुरा थाना रानीपुर जनपद मऊ 11. अहमद पुत्र याकूब ग्राम मंसूरपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर, 12. आमिर पुत्र आंसू ग्राम मंसूरपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर , 13. जगदीश गुप्ता पुत्र बसंत गुप्ता ग्राम गरया कोल थाना गगहा जनपद गोरखपुर को 10 अजना उपकरण (कीमत लगभग 12 लाख रूपयें) , 03 कार, मोबाइल व नकदी के साथ उमरी श्री पुल के पास से गिरफ्तार किया गया था। मौके से चार अभियुक्त क्रमशः 1. प्रवीण पाठक उर्फ मोनू पुत्र रामअवतार पाठक, 2. प्रशान्त पाठक उर्फ गोलू पुत्र रामअवतार पाठक निवासीगण ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़, 3. रणविजय पाठक उर्फ ओम पुत्र विवेकानन्द निवासी उपरोक्त , 4. अफ्सार पुत्र याकूब मलिक ग्राम मंसूरपुर थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर हा0पता बसंतपुर थाना राजघाट गोरखपुर फरार हो गये थे। उक्त के बावत थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0285/2024 धारा 317(2),317(4),317(5) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

➡ दिनांक 22.08.2024 को फरार अभियुक्त 1. प्रवीण पाठक उर्फ मोनू पुत्र रामअवतार पाठक, 2. प्रशान्त पाठक उर्फ गोलू पुत्र रामअवतार पाठक निवासीगण ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़, 3. रणविजय पाठक उर्फ ओम पुत्र विवेकानन्द निवासी उपरोक्त ने मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया।

➡ विवेचना के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण तथा शेष अजना उपकरण की बरामदगी हेतु मा0न्यायालय जे0एम कोर्ट नं0- 26 आजमगढ़ के आदेश के क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को अभियुक्त प्रशान्त पाठक उर्फ गोलू पुत्र रामअवतार पाठक निवासी ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लिया गया जिसकी निशानदेही पर सड़क के किनारे छिपाकर रखे गये 04 अजना उपकरण (किमती लगभग 04 लाख रूपये) को बरामद किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 14 मोबाइल टावर से सम्बंधित अजना उपकरण की बरामदगी की जा चुकी है। जिसकी किमत लगभग 16 लाख रूपये है तथा अब तक कुल 17 अभियुक्तों में से 16 की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

बरामदगी- 4 अजना (किमत लगभग 4 लाख रूपये)।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 285/24 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-151/2024 धारा-303(2) बीएनएस थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-357/2024 धारा-380 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-272/2024 धारा-303(2) बीएनएस थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-187/2024 धारा-303(2) बीएनएस थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-402/2024 धारा-303(2) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0-208/2024 धारा-379/411/34 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0-333/2024 धारा-303(2) बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 मिथिलेश कुमार, हे0कां0 शिवधन यादव, कां0 सच्चिदानन्द तिवारी, कां0 अजीत विश्वकर्मा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।



08-थाना कन्धरापुर : अवैध तमन्चा कारतूस के साथ शातिर चोर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध असलहा रखने वाले, अवैध असलहो का निर्माण एवं तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 28.08.2024 को उ0नि0 जावेद अख्तर व उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त खुरमुल्ली पुत्र बहाऊ निवासी ग्राम ग्राम असाधरपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को एअरपोर्ट के पीछे सौरा रोड से समय करीब 20:43 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 देशी तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 237/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 34/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0 33/19 धारा 401 भादवि थाना कन्धरापुर
3. मु0अ0सं0 04/19 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर
4. मु0अ0सं0 237/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जावेद अख्तर, व0उ0नि0 रमेश कुमार, का0 सोनू कुमार, का0 कृष्ण कुमार पटेल थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।



09-थाना कोतवाली : कम्पनी का स्टीकर लगाकर नकली अलमीरा का निर्माण व बिक्री करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 02.12.2023 को वादी मुकदमा रावेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र सत्यप्रकाश मिश्रा मैनेजर त्रिवेणी हाउसहोल्ड आइटम्स मेन्युफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड निवासी नैनीगाँव ददरी नैनी थाना नैनी जनपद प्रयागराज द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की कम्पनी त्रिवेणी हाउसहोल्ड आइटम्स मेन्युफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस -36 एकता मार्केट डी ब्लॉक इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ में है। जो त्रिवेणी अलमीरा के नाम से अलमारी बनाने व बेचने का कार्य लगभग 18 वर्ष से कर रही है, जिसका रजिस्टर्ड न0-1571155 है। उक्त फर्म ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्टर्ड है। हाजी अब्दुल कुदुश पुत्र अज्ञात आइनिया, बद्दोपुर, सदर, आजमगढ़ व अब्दुल असलम पुत्र अज्ञात निवासी आइनिया, बद्दोपुर, सदर, आजमगढ़ द्वारा वादी की कम्पनी के नाम से अपनी मेसर्स

न्यू त्रिवेणी अलमीरा (नेहा फर्नीचर) आइनिया, बहोपुर, सदर आजमगढ़ में फैक्ट्री खोलकर प्रार्थी की कम्पनी के नाम का टैग लगाकर नकली अलमीरा बनाकर बेच रहे हैं। जिससे प्रार्थी के कम्पनी का नाम खराब व बदनाम हो रहा है, नकली घटिया किस्म की अलमीरा को विपक्षी द्वारा बाजार में बिक्री कराये जाने पर कम्पनी को आर्थिक नुकसान व ग्राहको से बदनामी हो रही है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 685/23 धारा 420,467,468,471,506 भादवि व 63/65 कापी राईट एक्ट, 103/104 ट्रेड मार्क एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 29.08.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह ने मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 अनस पुत्र अब्दुल कुदूस निवासी ग्राम बाज बहादुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष को ब्रह्मस्थान स्टेडियम के पास से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, कां0 महातम गौड़ थाना कोतवाली आजमगढ़।



10-थाना मेंहनगर : छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 23.08.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अभियोदय और सौरभ ने वादिनी के घर में घुसकर वादिनी की बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहे थे मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे और वहाँ से भाग निकले दिनांक 18/08/2024 को वादिनी की बच्ची कोचिंग जा रही थी तो रास्ते में अभियोदय पकड़कर मारने लगा यह

बात मीना देवी को बताने पर भद्दी - भद्दी गाली देकर भागा दी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 340/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/74/333 BNS & 7/8 POCSO ACT पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 29.08.2024 को व0उ0नि0 विरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभ्युदय पुत्र सुरेश राम निवासी करौती थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को लखराव पोखरा से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- व0उ0नि0 विरेन्द्र यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।



11-थाना सिधारी : किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 15.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 13.02.24 को वादिनी की पुत्री शंकर जी मंदिर समेदा गयी थी अभी तक घर वापस नही आयी काफी खोजबीन किया गया परन्तु कुछ पता नही चला जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 54/2024 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 29.08.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त इरशाद शेख पुत्र लियाकत अली सा0 नई बस्ती ठुठवा थाना रामपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 19 वर्ष को छतवारा मोड़ से समय करीब 12.25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, का0 अंशुमान सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

